भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2110

06 अगस्त 2021 को उत्तरार्थ

विषय: महिला किसानों के लिए योजनाएँ

2110 श्री नीरज डांगी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महिला किसानों को सुविधाएँ प्रदान करने हेतु कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान देश में उक्त प्रयोजनों के लिए राजस्थान तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार सहित राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार महिला किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) कृषि क्षेत्र में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न लाभार्थी उन्मुख स्कीमों के दिशा-निर्देशों में राज्यों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा महिला किसानों पर कम से कम 30% खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कीमों में विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन और समेकित बागवानी विकास मिशन शामिल हैं।

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डीएवाई-एनआरएलएम (दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के एक उप-घटक के रूप में योजना 'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)' की शुरुआत की थी । इस स्कीम का कार्यान्यवन वर्ष

2011 से इस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित ढंग से निवेश करके उन्हें सशक्त बनाना है जो ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत आजीविका भी प्रदान करता है । इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से परियोजना मोड में किया जाता है।

डीएवाई-एनआरएलएम एक मांग आधारित कार्यक्रम है और और प्रत्येक वर्ष राज्यवार आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तदनुसार, परियोजना मोड के माध्यम से एमकेएसपी के कार्यान्वयन के लिए एसआरएलएम की मांग के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधि का विवरण अनुबंध-। पर है।

(ग) एवं (घ): कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों के बारे में महिलाओं को जानकारी देने के लिए, डीएएंडएफडब्ल्यू और डीएवाई-एनआरएलएम की स्कीमों के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) के तहत विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम (आत्मा) के लिए सहायता शामिल हैं। देश भर के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण (एसएएमईटीआई), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के माध्यम से महिला किसानों सहित किसानों के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (न्यूनतम 200 घंटे की अवधि के) भी संचालित किए जा रहे हैं। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा स्थापित केवीके कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं पर महिला किसानों सहित किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।.

(ङ.) : कृषि क्षेत्र में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। इसमें कुछ स्कीमों के तहत पुरुष किसानों के अलावा महिला किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना; विभिन्न लाभार्थी उन्मुख स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत महिलाओं के लिए 30% धनराशि का प्रावधान; महिला-अनुकूल पहल करना जैसे कृषि महिला खाद्य सुरक्षा समूहों का समर्थन करना, कृषि में महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र में वृहद/सूक्ष्म स्तर का अध्ययन आयोजित करना, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिला संवेदीकरण मॉड्यूल प्रदान करना, अनुकूल उपकरण/प्रौद्योगिकियों का संकलन और प्रलेखन; महिला किसान हितैषी हैंडबुक और महिला किसानों की सर्वोत्तम पद्धतियों/सफलता की कहानियों का संकलन आदि शामिल हैं।

रा.स.अता.प्र.सं. 2110

अनुबंध I

पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की 'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)' के तहत जारी की गई धन-राशि का राज्य-वार / संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण:

(करोड़ रु. में)

राज्य	निर्मुक्ति 2018-19	निर्मुक्ति 2019-20	निर्मुक्ति 2020-21
आंध्र प्रदेश	9.73	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00
बिहार	2.68	0.00	0.00
छत्तीसगढ	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.19	0.00	0.00
हरियाणा	1.89	1.62	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
झारखंड	2.53	8.98	3.49
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00
केरल	7.44	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.46	0.00
उड़ीसा	0.82	0.00	0.00
पुदुचेरी	0.00	0.00	0.57
राजस्थान	6.45	0.00	0.00
तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	20.60	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.92	0.52	0.00
नागालैंड	2.35	0.00	2.35
बहु राज्य परियोजना	5.87	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	4.13	0.00	4.12
उत्तराखंड	0.00	0.00	0.67
पंजाब	0.00	0.00	0.00
कुल	65.60	11.58	11.20

नोट: डीएवाई-एनआरएलएम में एमकेएसपी एक मांग आधारित कार्यक्रम है और प्रत्येक वर्ष राज्यवार आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

*****